न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी –डॉ0 सौम्या झा
आई०ए०एस०

राजस्व अपील 25/2026
राहुल पहाडिया पुत्र राजेन्द्र पहाडिया जाति पहाडिया निवासी ब्यावर राज०

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील कुण्डल जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश नायब तहसीलदार कुंण्डल दिनांक 24.11.2025 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम राहुल मुकदमा नंबर 26/2025 धारा 91 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित– 1. श्री जगजीवन राम, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. .श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 26.5.2026

1. संक्षिप्त विवरण अपील का इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार कुंडल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2025 जो कि मु0नं0 26/2025 उनवानी सरकार बनाम राहुल से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 की तलबी की गई। तहसीलदार कुण्डल से मूल अभिलेख मंगवाया गया।
3. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का कालोता द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ग्राम तलावडा में खसरा नंबर 899/2 रकबा 0.26 गै0मु0 पहाड व 900/3 रकंबा 0.56 चरागाह में से 0.10 है0 व 898/4 रकबा 17.02 है0 में से 0.11 है० व 900/3 रकबा 0.56 है० चरागाह में से 0.15 है0 व 901/2 रकबा 0.97 चरागाह में से 0.20 है० कुल 0.82 है0 पर मलबा डालकर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट पेश की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये जिसमें अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल नहीं हुई तथा नोटिस पर यह भी अंकित नहीं किया कि नोटिस किसने लिया। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट की न तो विधिवत असालतन तामिल हुई इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा में निर्णय पारित कर दिया व 369 रूपये की पैनल्टी व बेदखली के आदेश पारित कर दिये। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय हैं। अपीलान्ट की किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण ही नही किया पटवारी हल्का ने कतई गलत व असत्य रिपोर्ट पेश की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल ही नहीं हुई जो कतई अवैधानिक है। तथा इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल ही नही हुई इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि पीडित पक्ष को पुर्ण सुनवाई जवाब व सबूत का मौका देकर ही कोई निर्णय पारित करना चाहिए। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत होने के कारण प्रथम स्तर पर ही निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायाल ने रिपोर्ट कूनिन्दा पटवारी हल्का के बयान तक नहीं लिये और न ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रदर्शित हुई है। तथा बिना प्रदर्शित हुये व बिना पटवारी के बयान लिये ही निर्णय पारित किया है जो कानून विरूद्व होने के कारण प्रथम स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने कोई मलबा नहीं डाला बल्कि पटवारी ने

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गलत रिपोर्ट पेश की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ नायब तहसीलदार कुण्डल दिनांक 24.11.2025 निरस्त फरमाने की कृपा करे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त कुण्डल से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

5. अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ागया।

6. पत्रावली, अपील, मियाद संबंधी प्रार्थना–पत्र तथा अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख देखा गया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.11.2025 को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उसे नोटिस की विधिवत तामील नहीं हुई, उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय रूप से बेदखली एवं शास्ति का आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा यह भी कहा गया है कि उसने कोई अतिक्रमण नहीं किया है।

7. अधीनस्थ अभिलेख से प्रकट है कि पटवारी हल्का कालोत की रिपोर्ट पर राजकीय/चरागाह/गैर मुमकिन भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किये जाने के संबंध में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रकरण संख्या 26/2025 दर्ज किया गया। आदेश–पत्रिका के अनुसार दिनांक 11.09.2025 को प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया और पत्रावली दिनांक 08.10.2025 को नियत की गई। तत्पश्चात् दिनांक 13.10.2025 एवं दिनांक 24.11.2025 को भी पत्रावली प्रस्तुत हुई। दिनांक 24.11.2025 को नोटिस तामील के बावजूद गैर–सायल की अनुपस्थिति एवं कोई जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया गया।

8. अपीलार्थी की मुख्य आपत्ति तामील के संबंध में है। अभिलेख पर उपलब्ध तामील रिपोर्ट/नोटिस से यह प्रकट है कि नोटिस की प्रति रामावतार, जो मौके/कार्य से संबंधित मुनीम/प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित था, को प्राप्त हुई। तामील आदेश दिनांक 24.11.2025 से पर्याप्त पूर्व की है। अपीलार्थी द्वारा मात्र यह कहा गया है कि वह उक्त व्यक्ति को नहीं जानता अथवा तामील वैध नहीं थी, परन्तु इस कथन के समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. जहां किसी कार्यस्थल/खनन/व्यवसायगत गतिविधि से संबंधित व्यक्ति अथवा मुनीम/प्रतिनिधि को नोटिस प्राप्त होना तामील रिपोर्ट से प्रकट हो, वहां अपीलार्थी का केवल सामान्य इंकार तामील को अवैध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि अपीलार्थी का कथन था कि रामावतार उससे संबद्ध नहीं था, तो इस तथ्य को सिद्ध करने का भार अपीलार्थी पर था। अपीलार्थी ने न तो रामावतार का कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत किया, न कोई कर्मचारी/स्थल अभिलेख प्रस्तुत किया और न कोई अन्य विश्वसनीय सामग्री रखी जिससे यह माना जा सके कि नोटिस किसी पूर्णतः असंबद्ध व्यक्ति को दिया गया था। अतः तामील संबंधी आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

10. गुण–दोष पर, अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट और राजस्व अभिलेख के आधार पर यह पाया कि संबंधित राजकीय/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण विद्यमान है। अपीलार्थी ने

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय में कोई प्रतिवाद, सीमाज्ञान, नक्शा, जमाबंदी, फोटो या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे उक्त रिपोर्ट का खंडन हो सके। अपील में भी केवल सामान्य रूप से अतिक्रमण से इंकार किया गया है। मात्र इंकार से अधीनस्थ न्यायालय का तथ्यात्मक निष्कर्ष अपास्त नहीं किया जा सकता।

11. अपीलार्थी का यह कथन कि उसे आदेश की जानकारी दिनांक 15.03.2026 को हुई, तामील रिपोर्ट एवं आदेश–पत्रिका से समर्थित नहीं होता। जब नोटिस की तामील आदेश पारित होने से पूर्व पर्याप्त समय में सिद्ध है, तब आदेश की जानकारी बाद में होने का कथन देरी क्षमा करने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।

12. अतः मियाद संबंधी प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। साथ ही, गुण–दोष पर भी अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई ऐसी अवैधता, तथ्यगत त्रुटि अथवा प्रक्रिया संबंधी दोष सिद्ध नहीं कर पाया है जिसके आधार पर आदेश दिनांक 24.11.2025 में हस्तक्षेप किया जावे।

13. फलस्वरूप, अपीलार्थी की मियाद संबंधी प्रार्थना–पत्र एवं अपील, दोनों अस्वीकार किये जाते हैं। नायब तहसीलदार, कुण्डल द्वारा प्रकरण संख्या 26/2025 में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 यथावत रखा जाता है। यदि इस न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम स्थगन/रोक आदेश पारित किया गया हो तो वह निरस्त माना जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय नियमानुसार आदेश की पालना सुनिश्चित करे। अधीनस्थ अभिलेख मय प्रति आदेश तत्काल वापस भेजा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। आद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26 मई, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official